

1.7.22

वकील रिक्रीशा उपाध्याय / नई दिल्ली हाउसिंग  
ने जारि पत्रांक 298 दिनांक 17.6.22 से  
अवगत कराया कि दिनांक 4.7.2017 की  
पालना की जा-बुकी है अतः प्रकरण के अब  
कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः प्रकरण  
की कार्यवाही इसी स्तर पर रूपा की जा रही  
पत्रावली के संदर्भ में होकर शाखिल इफ्तार है

उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज)